भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 564**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत निर्यात ऋण गारंटी निगम

564. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम द्वारा लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निर्यातकों को किस प्रकार निर्यात ऋण में सहायता और प्रोत्साहन दिया जा रहा है;
(ख) क्या उपरोक्त योजना के अंतर्गत एमएसएमई को निर्यात ऋण के लिए बिना किसी गारंटी के कवर मिलेगा;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक सुगम बनाए गए बिना गारंटी वाले निर्यात ऋणों की संख्या कितनी है; और
(ङ) क्या एमएसएमई क्षेत्र के निर्यातकों द्वारा कोई संशोधन मांगे गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निर्यातकों को लागत प्रभावी बीमा प्रदान करने और निर्यात ऋण को प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) ने हाल ही में कई पहल शुरू की हैं। इसका विवरण निम्नवत है:-

i. ईसीजीसी ने बैंकों के लिए अल्पकालिक पूर्ण कारोबार निर्यात ऋण बीमा (डब्ल्यूटी-ईसीआईबी) योजना के तहत बीमा कवरेज को छोटे निर्यातकों के खातों के लिए पूर्व के औसत 70% कवरेज से बढ़ाकर 90% कर दिया है, जिनके लिए कुल निर्यात ऋण कार्यशील पूंजी सीमा ₹20 करोड़, ₹50 करोड़ और ₹80 करोड़ तक है। इससे बैंक उच्च रेटिंग वाले

खातों पर लागू कम ब्याज दरों पर निर्यात ऋण प्रदान कर सकेंगे, जिससे एमएसएमई को पर्याप्त और लागत-प्रभावी निर्यात ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

ii. इसके अलावा, डब्ल्यूटी-ईसीआईबी के अंतर्गत निर्यात ऋण के लिए 90% संवर्धित कवरेज को बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के 50 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जबकि पहले यह सीमा 20 करोड़ रुपये थी, जिससे एमएसएमई निर्यातकों के लिए बीमा लागत कम हो गई है।

iii. ईसीजीसी ने डब्ल्यूटी-ईसीआईबी के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये तक की संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी निर्यात ऋण सीमा के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) निर्यातकों को 90% बीमा कवर भी प्रदान किया है, जो संपार्श्विक सुरक्षा या थर्ड-पार्टी गारंटी प्रदान करने में असमर्थ हैं। यह सुविधा सभी क्षेत्रों और वस्तुओं के लिए बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के उपलब्ध है और यह बैंकों को एमएसई को उदार निर्यात ऋण देने में सक्षम बनाती है।

iv. व्यापार करने में सुगमता हेतु, ईसीजीसी ने एसटी-ईसीआईबी के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये तक की बकाया निवल मूल राशि से संबंधित दावों के निपटान की प्रक्रिया को सरल बना दिया है, जिसमें दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकताएं कम कर दी गई हैं और प्रक्रिया में लगने वाला समय कम कर दिया गया है।

v. इसके अतिरिक्त, ईसीजीसी ने निगम से सीधे पॉलिसी प्राप्त करने वाले निर्यातकों के लिए बीमा कवर को 100% तक बढ़ा दिया है। ये पॉलिसी बैंकों द्वारा निर्यात ऋण प्रदान करते समय संपार्श्विक के रूप में भी कार्य करती हैं, जिससे विशेष रूप से एमएसएमई निर्यातकों को लाभ होता है जो आमतौर पर ईसीजीसी से सीधे पॉलिसी प्राप्त करते हैं, जिससे निर्यात ऋण के लिए संपार्श्विक संबंधी आवश्यकताएं कम हो रही है।

(ख) एवं (ग) ईसीजीसी, डब्ल्यूटी-ईसीआईबी के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये तक की संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी निर्यात ऋण सीमा के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) निर्यातकों को 90% बीमा कवर प्रदान करता है, जो संपार्श्विक सुरक्षा या थर्ड-पार्टी गारंटी प्रदान करने में असमर्थ हैं। यह सुविधा सभी क्षेत्रों और वस्तुओं में बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के उपलब्ध है और बैंकों को एमएसई को उदार निर्यात ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाती है।

(घ) इस योजना के अंतर्गत दिनांक 22.01.2026 तक 10 करोड़ रुपये तक की सीमा वाले कुल 4987 निर्यात खातों को सुविधा प्रदान की गई है।

(ड़) ईसीजीसी ने सूचित किया है कि उन्हें एमएसएमई सेक्टर से अभी तक ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

*****